रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2013/वैशाख 19, 1935
No. 128] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2013/VAISAKHA 19, 1935

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

सं. जेईआरसी 16/2013.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(जेडओ) के साथ पठित धारा 127(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए) एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत आकलन अधिकारी द्वारा पारित अंतिम ओदश से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण :**

(i) इन विनियमों को गोवा और संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) विनियम, 2013 कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम राज्य/संघ शासित क्षेत्र में आपूर्ति के उनके संबंधित क्षेत्रों में वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे ।

(iii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं :**

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 से है;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ अधिनियम की धारा 176(2)(यू) के साथ पठित धारा 127 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी से है;

(ग) "आकलन अधिकारी" का अर्थ अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत नियुक्त आकलन अधिकारी से है;

(घ) "आयोग" का अर्थ गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग से है;

(ङ) "लाइसेंसधारी" का अर्थ वितरण प्रणाली का प्रचालन और रखरखाव करने के लिए प्राधिकृत वितरण लाइसेंसधारी तथा आपूर्ति के संबंधित क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने से है; और

(च) प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इनमें विशेष रूप से परिभाषित न किया गया हो लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया हो, का अधिनियम 2003 में दिए गए अनुसार अर्थ होगा ।

3. अपील दायर करना :

(1) अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत आकलन अधिकारी द्वारा दिए गए अंतिम आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति ओदश के 30 दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है ।

(2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आकलन के अंतिम आदेश के खिलाफ किसी अपील पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक पीड़ित उपभोक्ता/व्यक्ति लाइसेंसधारी के पास उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आधी राशि जमा न कराए और ऐसी जमा राशि की रसीद संलग्न करे ।

(3) अपील अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में की जाए ।

(4) अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनका अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार सत्यापन किया जाएगा ।

(5) अपील ज्ञापन के साथ निम्नलिखित शुल्क संलग्न किया जाएगा :

आकलित राशि	शुल्क
1 लाख रुपए तक	आकलित राशि का 1% बशर्ते कि यह न्यूनतम 250 रुपए हो ।
1 लाख रुपए से अधिक	आकलित राशि का 0.75% बशर्ते कि यह न्यूनतम 1000 रुपए है ।

(6) शुल्क का भुगतान उस रूप में किया जाएगा जिसमें अपीलीय प्राधिकारी निर्देश देगी ।

4. विविध :

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन तथा विभिन्न मामलों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर आदेश जारी कर सकता है और निर्देशों का अनुपालन करा सकता है, जिसे आयोग को इन विनियमों द्वारा आकस्मिक और उसके आनुषंगिक मामलों में निर्देश देने का अधिकार दिया गया है ।

(2) आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी प्रावधान में जोड़ सकता है, अंतर, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकता है ।

(3) यदि इन प्रावधानों के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा कोई कदम उठा सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत हो, जो कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या उचित प्रतीत होता हो ।

आर. के. मलिक, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./218-I/13]

अनुसूची

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127(1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील

धारा 126 के अंतर्गत अंतिम आदेश के खिलाफ अपील

(उपभोक्ता का नाम व पता) ....अपीलकर्ता

और

1. (विद्युत विभाग का नाम व पता)

2. (आकलन अधिकारी का नाम व पता) ....प्रतिवादी

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127(1) के अंतर्गत अपील

1. अपीलकर्ता का विवरण

क. अपीलकर्ता का पूरा नाम :

ख. अपीलकर्ता का पूरा पता :

ग. संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता :

घ संपर्क दूरभाष संख्या

फैक्स संख्या

ई-मेल पता :

2. वितरण लाइसेंसधारी का ब्यौरा

क. संबंधित प्रभागीय इंजीनियर का नाम :

ख. प्रभागीय इंजीनियर के कार्यालय का पता :

3. आकलन अधिकारी का ब्यौरा

क. नाम

ख. पदनाम

ग. कार्यालय का पता

4. संबंधित परिसर का पता

5. संविदागत भार/संस्वीकृत भार

6. संबद्ध भार (निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार)

7. लगाए गए मीटर का विवरण

8. निरीक्षण की तारीख

(निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जाए)

9. निरीक्षण अधिकारी का नाम और पता

10. अनंतिम आकलन की तारीख

11. अनंतिम रूप से आकलित राशि

12. अनंतिम आकलन के खिलाफ अपलीकर्ता द्वारा प्रतिनिधि की तारीख

13. आकलन अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन की सुनवाई की तारीख और अंतिम आदेश की तारीख (अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

14. अभिकथित अनधिकृत प्रयोग की प्रकृति

15. आकलन अधिकारी के निर्णय का सार

16. क्या संबंधित अवधि के बारे में किसी आकलित राशि का भुगतान कर दिया गया है/जमा किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।

17. क्या अपीलकर्ता ने विवादित राशि के आधे का भुगतान कर दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।

18. चुनौती का आधार

19. (मामले का आधार बताएं जिस पर अपील दायर की गई है तथा कारण बताएं कि अंतिम आदेश अस्थायी क्यों है)।

20. शुल्क का ब्यौरा।

प्रार्थना

इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि ....
....
....

अपीलकर्ता

सत्यापन

मैं .... अपीतकर्ता यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त अपील ज्ञापन में उल्लिखित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं (या .... से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं और मैं यह समझता हूं कि यह सही है); इसका कोई भी हिस्सा झूठा नहीं है और इसमें किसी सामग्री को छिपाया नहीं गया है ।

.... माह की .... तारीख को

.... पर सत्यापित

अपीलकर्ता

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2013

No. JERC 16/2013.—In exercise of powers under Section 127 (1) read with Section 181 (2) (zo) of the Electricity Act, 2003, the Joint Electricity Regulatory Commission (For The State of Goa and Union Territories) hereby makes the following Regulations providing for procedure for filing appeal before the Appellate Authority from the final order passed by the Assessing Officer under Section 126 of the said Act:—

1. **Short title and commencement :**

   (1) These regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (procedure for filing Appeal before the Appellate Authority) Regulations, 2013.

   (2) These Regulations shall be applicable to the Distribution Licensees in their respective areas of supply in the State/ Union Territory.

   (3) These regulations shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

2. **Definitions :**

   In these regulations, unless the context otherwise requires:—

   a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

   b) "Appellate Authority" means the authority notified under sub-section (1) of Section 127 read with Section 176 (2) (u) of the Act;

   c) "Assessing Officer" means the assessing officer appointed under Section 126 of the Act;

   d) "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories;

   e) "Licensee" means a Distribution Licensee authorized to operate and maintain a distribution system and supply electricity to consumers in the concerned area of supply; and

   f) Words and expressions used but not specifically defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act, 2003.

3. **Filing of appeal :**

   1) Any person aggrieved by a final order made by an assessing officer under Section 126 of the Act, may

(2) No appeal against the final order of assessment under (1) above shall be entertained unless the aggrieved consumer/person deposits one-half of the amount under (1) above with the licensee and encloses receipt of such deposit.

(3) The appeal shall be made in the form specified in the Schedule.

(4) The memorandum of appeal shall be signed and verified in the manner specified in the Schedule.

(5) The Memorandum of Appeal shall be accompanied by the following fee:

Amount assessed	**Fee**
Upto to Rs. 1 lakh	1% of the assessed amount subject to minimum of Rs. 250.
Above Rs. 1 lakh	0.75% of the assessed amount subject to minimum of Rs. 1000.

(6) The fee shall be paid in such form as the Appellate Authority may direct.

4. **Miscellaneous :**

(1) Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and directions in regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by these Regulations to direct and matters incidental or ancillary thereto.

(2) The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these Regulations.

(3) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

R. K. MALIK, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./218-I/13]

SCHEDULE

APPEAL BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SECTION 127 (1) OF THE ELECTRICITY ACT, 2003

Appeal against final order under section 126

...Appellant

(Name and address of the Consumer)

AND

1. (Name and address of Electricity Department)

... Respondents

2. (Name and address of the Assessing Officer)

Appeal under Section 127 of the Electricity Act, 2003

1. Details of Appellant

a. Full Name of the Appellant :

b. Full Address of the Appellant :

c. Name, Designation & Address of the Contact Person :

d. Contact Telephone Numbers

Fax Number (s)

Email ID :

2. Details of the Distribution Licensee

a. Name of the concerned Divisional Engineer

b. Address of the office of the Divisional Engineer

3. Details of the Assessing Officer

a. Name

b. Designation

c. Address of the Office.

4. Address of the premises concerned

5. Contracted Load/Sanctioned Load

6. Connected Load (as per inspection report)

7. Particulars of the meter installed

8. Date of Inspection
(Copy of the inspection report be enclosed)

9. Name and address of the Inspecting Officer

10. Date of the provisional assessment

11. Amount provisionally assessed

12. Date of the representation by the Appellant against provisional assessment

13. Date of hearing of the representation by the Assessing Officer and date of final order. (True copy of the final order is to be enclosed)

14. Nature of the unauthorized use alleged

15. Gist of the decision of the assessing officer

16. Whether any amount assessed paid/deposited relating to the period in issue and if so the details thereof

17. Whether the appellant has paid the one half of the disputed amount and if so the details thereof

18. Grounds of Challenge

19. (State the grounds of the case on which the appeal is filed and the reason(s) why the final order is unsustainable)

20. Details of Fees

PRAYER

It is therefore, prayed that ....

....

....

Appellant

VERIFICATION

I................................ the Appellant declare that the facts stated in the above Memorandum of Appeal are true to my knowledge (or based on information from .... and believed by me to be true); no part of the same are false and nothing material has been concealed thereform.

Verified at ....

on this...........day of...............

Appellant

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.